सैलग्नक-19

निदेशक कैम्प
संख्या 1332/16
दिनांक 31-12-15

संख्या-2164/60-1-15-1/13(103)/03

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

विषय-: समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के अन्तर्गत संचालित राजकीय संस्थाओं में निवासरत बच्चों एवं राजकीय संरक्षण गृहों/सुधार गृहों और महिला शरणालय में निवासरत महिलाओं के भरण पोषण की दरों में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् शासन के पत्र संख्या-2019/60-1-15-1/13(103)/03, दिनांक 28.01.2015 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के अन्तर्गत संचालित राजकीय संस्थाओं में निवासरत बच्चों को रू0 1400/- भरण पोषण हेतु तथा रू0 600/- दवा, वस्त्र एवं साबुन आदि कुल रू0 2,000/- के स्थान पर भोजन हेतु रू0 3,400/- एवं रू0 600/- दवा, वस्त्र एवं साबुन आदि कुल रू0 4,000/- प्रतिमाह तथा राजकीय संरक्षण गृहों/सुधार गृहों और महिला शरणालय में निवासरत महिलाओं के भरण पोषण हेतु रू0 1200/- प्रतिमाह एवं दवा, वस्त्र एवं साबुन आदि हेतु रू0 850/- वार्षिक के स्थान पर भोजन हेतु रू0 4,700/- एवं रू0 800/- दवा, वस्त्र एवं साबुन आदि हेतु कुल रू0 5,500/- प्रतिमाह की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- शासनादेश संख्या-2019/60-1-15-1/13(103)/03, दिनांक 28.01.15 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार पुन:रीक्षित दरें तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

Dy CPO(K)/
A.D.
31/12/15
ADG
14/01/16

4- उक्त व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-14-किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन(के.75/रा.25 के.+रा.)-41-भोजन मद के भुगतान नाम से डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-2164(1)/60-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त विभागीय संस्थाओं के अधीक्षक/अधीक्षिकायें।
6- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-3।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उपसचिव